

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय, एनएचएम स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

No. F. 20 (119-III)/NHM/HRD/2019/ 530

Date: 07-3-2019

आदेश

एनएचएम अन्तर्गत संविदा आयुष चिकित्सक-आरबीएसके के पद पर कार्यरत निम्न संविदा कार्मिको का रिलोकेशन पॉलिसी आदेश क्रमांक 499 दिनांक 02.03.2010 के बिन्दु संख्या 1(iv) में निहित प्रावधानो के तहत निम्नानुसार तुरन्त प्रभाव से रिलोकेशन किया जाता है:-

| क्रसं. | नाम व पदनाम | रिलोकेशन कहां से | रिलोकेशन कहां को |
|--------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | डॉ. कमल किशोर शर्मा आयुष चिकित्सक-आरबीएसके | ब्लॉक भोपालसागर, चित्तौड़गढ़ | ब्लॉक मालपुरा, टोंक |
| 2 | डॉ. वर्षा गौतम आयुष चिकित्सक-आरबीएसके | ब्लॉक बसेडी, धोलपुर | ब्लॉक रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ |

(डॉ. समित शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक एनएचएम।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम जयपुर।
5. परियोजना निदेशक-आरबीएसके, जयपुर।
6. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संबंधित जोन।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिले।
9. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एनएचएम, संबंधित जिले।
10. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित ब्लॉक।
11. वर्णित संविदा कार्मिको को पालनार्थ।
12. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते समस्त संबंधितो को ई-मेल करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम